

UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING, RTU KOTA

NOTICE

THIS IS TO INFORM TO ALL THE STUDENTS THAT "RAGGING IS PROHIBITED AS PER THE DECISION OF THE HON'BLE SUPREME COURT OF INDIA IN WRIT PETITION NO. (C) 656/1998". IF ANY STUDENT IS FOUND INDULGING IN RAGGING OF STUDENTS, SEVERE DISCIPLINARY ACTION SHALL BE TAKEN AGAINST HIM/HER.

DIRECTOR

वि वविद्यालय अभियांत्रिकी महाविद्यालय: कोटा

आवक सूचना

समस्त छात्र/छात्राओ को सचित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट पिटी नं. (सी) ६५६/१९९८ के निर्णय के अनुसार महाविद्यालय में छात्र/छात्राओ की रैगिंग करना दण्डनीय अपराध है। यदि कोई छात्र/छात्रा रैगिंग में लिप्त पाया जावेगा/जावेगी तो उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

निदेशक